कार्यालय :– प्रभारी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती समिति (जिला एवं सेशन न्यायालय), श्रीगंगानगर

–:: **विज्ञप्ति** ::–

कमांक :– 01 / नियु.च.श्रे.कर्म. / 2014 दिनाक :– 14.07.2014

श्रीगंगानगर न्यायक्षेत्र में वर्तमान में रिक्त 40 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के पद (जिनमें अनुसूचित जनजाति के 17 पद एवं अनारक्षित 23 पद हैं) तथा भविष्य में रिक्त होने वाले 01 पद कुल 41 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदों पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना एफ.11(7) एफ.डी.(रूल्स) / 2008 दिनाक 12.09.2008, राजस्थान सिविल सेवाएँ (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2008 व संशोधित नोटिफिकेशन क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी. (रूल्स) / 2013–II, जयपुर दिनांक 28.06.2013 के अन्तर्गत रनिंग पे–बैंड–पीबी–1 5200–20200 ग्रेड पे–1700 प्रतिमाह में दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 5400 / – रूपये प्रतिमाह (परीविक्षाधीन) अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर नियत पारिश्रमिक पर भर्ती / नियुक्ति हेतु राजस्थान चतुर्थ श्रेणी(भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर ही इन्हें नियमित वेतन श्रृंखला में वेतन देय होगा। महिलाओं, निःशक्तजनों एवं भूतपूर्व सैनिकों आदि को नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

अभ्यर्थियों के लिये निम्न योग्यता / शर्तें लागू रहेंगी :–

1.**आयु** :– आवेदक दिनांक 1.1.2015 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। अनुसूचित जाति / अनसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / आर्थिक पिछड़ा वर्ग / महिलाओं, विधवा, विवाह विच्छिन्न महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों / बंधित श्रम पद्वति अधिनियम 1976 के कोई सदस्य आदि के लिए आयु में नियमानुसार छूट देय होगी, परन्तु यह कि –

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के किसी सदस्य के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा।
2. महिला अभ्यर्थियों के मामले में ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिल किया जावेगा।
3. रिजर्व सैनिक अर्थात रिजर्व में स्थानांन्तरित किये गये प्रतिरक्षा सेवा के कार्मिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
4. कैडेट अनुदेशकों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में एन.सी.सी. में की गई सेवा के बराबर की कालावधि को शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में समझा जायेगा।
5. ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में अधिष्ठायी या अस्थाई हैसियत में पहले सेवा कर रहा हो, जिसे उसके द्वारा 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्व इस प्रकार नियुक्त किया गया हो, आयु के सम्बन्ध में कोई निर्बधन नहीं होगा।
6. पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांमानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
7. ऊपरी आयु सीमा ऐसे भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी, जो अपनी दोषसिद्वि के पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर अधिष्ठायी तौर पर सेवा कर चुका था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
8. ऐसे अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में ऊपरी आयु सीमा को, उसके द्वारा भुक्त कारावास की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा बशर्ते कि वह दोषसिद्वि के पूर्व अधिकायु का नहीं था और इन नियमों के अधीन नियुक्ति का पात्र था।
9. विधवाओं और विच्छिन्न–विवाह महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी यदि उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया हो।
   स्पष्टीकरण :– विधवा के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त अपने पति की मृत्यु का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न–विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

10 राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए आयु सीमा में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 10 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति / जनजाति के अभ्यर्थी को 15 वर्ष की छूट देय होगी।

2. **शैक्षणिक योग्यता** :– इन पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से कम से कम पाँचवीं कक्षा उत्तीर्ण किया

हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिये।

3. **शारीरिक योग्यता** :- अभ्यर्थी को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें ऐसा कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिए जो उसके कार्य निष्पादन में बाधा उत्पन्न करता हो। नियुक्ति के समय प्रत्याशी को सक्षम चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. **चरित्र** :- आवेदक को दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदक के सम्बन्धी नहीं हो। यह दोनों चरित्र प्रमाण-पत्र आवेदन करने की तिथि से छः माह की अवधि से पहले के नहीं होने चाहिए।

5. **पेंशन योजना एवं नियत पारिश्रमिक** :- राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ.15(7)एफ.डी.(रूल्स) 97 दिनांक 14.1.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.12 एफ.डी.(रूल्स) दिनांक 13.3.2006 एवं दिनांक 12.9.2008 के अंतर्गत नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थी पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटेण्डेन्ट्स रूल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि एवं स्थायी पारितोषण के सभी नये नियम लागू होंगे।

6. **राष्ट्रीयता** :- अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम 1999 की धारा 11 के अनुसार अर्हता रखता हो।

7. **नियुक्ति के लिए निरर्हता** :-

1. एक से अधिक जीवित पति/पत्नी वाले महिला/पुरूष अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।
2. कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो। इस नियम के अन्तर्गत दहेज का वही अर्थ होगा जो इसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 (केन्द्रीय अधिनियम सं. 20) में दिया गया है। नियुक्ति के समय अभ्यर्थी को विवाह के समय दहेज नहीं लेने/देने का शपथ पत्र 10/- रूपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
3. ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को व उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। नियुक्ति के समय विवाहित आवेदक को दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं होने का घोषणा का शपथ पत्र 10/- रूपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
4. नियुक्ति के समय अभ्यर्थी द्वारा धूम्रपान एवं गुटखा सेवन आदि न करने के संबंध में वचनबद्धता (undertaking) प्रस्तुत करनी होगी।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतिरूपण करने का अथवा बनावटी दस्तावेज जिनमें गड़बड़ की गई है, प्रस्तुत करने का या ऐसे तथ्य प्रस्तुत करने का, जो सही नहीं है या मिथ्या है या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का अथवा साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयास करने का अथवा साक्षात्कार में प्रवेश पाने के निमित्त किसी अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी घोषित किया जाता है या किया जा चुका है जो फौजदारी मुकदमा चलाये जाने के दायित्वाधीन रहने के अतिरिक्त उसे :-

   क. समिति द्वारा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से,

   ख. सरकार के अधीन नियोजन के लिए सरकार द्वारा स्थाई तौर पर या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकेगा।

8. **आवेदन करने की अंतिम तिथि** :- इन पदों हेतु आवेदन पत्र दिनांक 7.8.2014 को सांय 5:00 बजे तक जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर में प्राप्त हो जाने चाहिए। इस तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा उन्हें निरस्त(फाईल) कर दिया जावेगा।

साक्षात्कार योग्य अभ्यर्थीगण की सूची दिनांक 18.8.2014 को जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीगंगानगर के सूचना पट्ट पर चस्पा कर दी जावेगी। यह सूची जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर की वैबसाईट पर भी अपलोड की जावेगी।

9. **साक्षात्कार की दिनांक एवं समय** :- साक्षात्कार हेतु योग्य अभ्यर्थीगण का साक्षात्कार दिनांक 13.09.2014 को प्रातः 10:00 बजे से जिला न्यायालय परिसर, श्रीगंगानगर में लिया जावेगा। अभ्यर्थीगण की संख्या अधिक होने पर साक्षात्कार इससे अगले दिवस को भी लिया जावेगा। इस संबंध में सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावेगी तथा जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर की वैबसाईट पर भी अपलोड की जावेगी।

10 **अंतिम परिणाम** :- अंतिम परिणाम अभ्यर्थीगण के साक्षात्कार पूर्ण होने के पश्चात् सात दिवस में घोषित किया जावेगा।

11 साक्षात्कार हेतु योग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थीगण को इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी तथा साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

12 साक्षात्कार की तिथि या समय में कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी तथा इसे जिला न्यायालय, श्रीगंगानगर की वैबसाईट पर भी अपलोड किया जावेगा। तिथि या समय परिवर्तन के संबंध में अभ्यर्थी को अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।

13 आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न नहीं करने या आवेदन पत्र अपूर्ण होने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

14 राज्य सरकार के परिपत्र संख्या प.7(3)कार्मिक/क–2/2006 दिनांक 30.6.2003 के अनुसार विवाहित स्त्री/पुरूष आवेदन पत्र में अपने पति/पत्नी का नाम उल्लेख करेंगे तथा विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करेंगे। अभ्यर्थी के अविवाहित होने के संबंध या अभ्यर्थी का विवाह दिनांक 30.6.2006 से पूर्व होने के संबंध में उक्त नियमों के तहत निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा अभ्यर्थी को विवाह पंजीयन की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

15 उपरोक्त रिक्तियां पूर्ण रूप से अस्थाई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के आदेशानुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण के अंतर जिला स्थानांतरण की वजह से इन रिक्तियों में कमी या वृद्धि हो सकती है।

16 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य सरकार के समय–समय पर जारी सेवा शर्तों आदि से संबंधित परिपत्र/आदेश/पत्र आदि नियमानुसार मान्य होंगे।

17 <u>आवेदन पत्र एवं इसके साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज</u> :–

1. अभ्यर्थी को सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी को स्वयं का पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करनी होगी।
3. अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्र/अंकतालिका की सत्य प्रति।
4. जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण–पत्र की सत्य प्रति।
5. आयु सीमा में छूट प्राप्त करने हेतु कारण दर्शाते हुए संबंधित प्रमाण–पत्र की सत्यप्रति।
6. जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो, की सत्य प्रति
7. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र जो आवेदन करने की दिनांक से छः माह पुराने नहीं होने चाहिये।
8. विवाह पंजीयन प्रमाण–पत्र की सत्य प्रति अथवा निर्धारित प्रारूप मे शपथ पत्र।
9. यदि अभ्यर्थी पूर्व से राजकीय सेवा में कार्यरत है तो उसे संबंधित अधिकारी से अनुमति पत्र प्राप्त कर उसकी सत्यप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

नोट :– **इन पदों पर आवेदन हेतु कोई शुल्क देय नहीं है। यह विज्ञप्ति एवं इस भर्ती प्रकिया से संबंधित भविष्य में जारी होने वाली सूचनाऐं जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीगंगानगर की वैबसाईट http://ecourts.gov.in/ganganagar पर उपलब्ध रहेंगी।**

Sd/-
सदस्य,
चतुर्थ श्रेणी कर्म. भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीगंगानगर
दिनांक :– 14.07.2014

कमांक :–